जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 20.07.2024**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाईकिल बरामदः-

आज दिनांक 20.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान 01 वाहन चोर को फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त द्वारा मोटर साईकिल को जनपद करनाल हरियाणा से चोरी करना बताया गया है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रोहित पुत्र विजेन्द्र निवासी मौहल्ला होली चौक ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटर साईकिल CT100 Dream।

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 03 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल बरामदः-</u>

आज दिनांक 20.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान 03 वाहन चोरो को चोरी की मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 16.07.2024 को वादी श्री नीरज कुमार गर्ग पुत्र श्री श्यामलाल निवासी मौहल्ला दयानंदनगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली की मोटर साईकिल होण्डा लीवो रजि0नं0 UP19H3756 किसी अज्ञात चोर द्वारा जे0जे0 फार्म से चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.विपिन पुत्र सतपाल निवासी ग्राम हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.तासीम पुत्र नसीम निवासी ग्राम व थाना बापोली जनपद पानीपत (हरियाणा)।

3.आकाश पुत्र सतीश निवासी ग्राम व थाना बापोली जनपद पानीपत (हरियाणा)।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.चोरी की मोटर साईकिल होण्डा लीवो रजि0नं0 UP19H3756।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया मोबाईल व नगदी बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 18.07.2024 को श्री रमन शर्मा पुत्र श्री रुप शर्मा निवासी ग्राम ढिक्का कलां थाना सरसावा जनपद सहारनपुर का मोबाईल व नगदी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 19.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी किये गये मोबाईल व नगदी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.गौरव पुत्र मांगेलाल निवासी ग्राम चन्देनामाल थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किया हुआ मोबाईल (सैमसंग)।

2.चोरी की हुई नगदी (700/- रुपये)।

थाना कैराना पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 20.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 15.07.2024 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त द्वारा युवती को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में पीडिता द्वारा थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दी थी। पीडिता की तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शौकीन पुत्र हारुन निवासी मौहल्ला आलखुर्द थाना कैराना जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 56,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया।</u>

अवगत कराना है कि वर्ष 2011 में अभियुक्त उस्मान पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम अम्बेहटा थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। **जिसके क्रम में आज दिनांक 20.07.2024 को माननीय न्यायालय ADJ/FTC-II कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त उस्मान उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 376 भादवि में 10 वर्ष के कारावास की सजा व 25,000/- रुपये अर्थदंड, धारा 363 भादवि में 07 वर्ष के कारावास की सजा व 15,000/- रुपये अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 07 वर्ष के कारावास की सजा व 15,000/- रुपये अर्थदंड,** धारा 342 भादवि में 01 वर्ष के कारावास की सजा व 1,000/-रुपये अर्थदंड, धारा 506 भादवि में 05 वर्ष कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.उस्मान पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम अम्बेहटा थाना झिंझाना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI